

हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड  
सी.आई.एन :U01110UP2021PTC154607  
रजिस्टर्ड कार्यालय: द्वितीय तल, वर्धमान प्लाजा, प्लॉट नंबर 09, पॉकेट - जे,  
पल्लवपुरम-1, रूडकी रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश 250 110, भारत  
दूरभाष संख्या : 0121-2995900  
ईमेल :info@haritpmilk.com, वेबसाइट: www.haritpmilk.com

### पाँचवीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना

यह सूचना दी जाती है कि हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की पाँचवीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 20, सितम्बर 2025 को 'होटल गोडविन, एनएच-58, बागपत बाईपास क्रासिंग, मेरठ, उत्तर प्रदेश - 250 002' में प्रातः 11:30 बजे निम्नलिखित कार्यों के लिए आयोजित की जाएगी:

1. 31 मार्च, 2025 का अंकेक्षित आर्थिक चिह्न लाभ-हानि खाते, रोकड़ प्रवाह विवरण तथा अंकेक्षकों एवं निदेशकों की रिपोर्ट को प्राप्त करके उन पर विचार करना एवं उसे अपनाया एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना:

" प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 31 मार्च, 2025 का अंकेक्षित आर्थिक चिह्न, लाभ हानि खाते, रोकड़ प्रवाह विवरण, शेड्यूल और नोट्स जो खातों का हिस्सा है, अंकेक्षकों एवं निदेशकों की रिपोर्ट को अनुमोदित एवं अपनाया जाता है।"

2. कंपनी की अंश पूँजी पर सीमित प्रतिफल (लाभांश) की घोषणा पर विचार करना और इस संबंध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित करना:

"प्रस्ताव पारित किया जाता है कि सीमित लाभांश (डिविडेंड) 31 मार्च, 2025 तक की अवधि के लाभ में से ₹. 100/- वाले 11,78,237 पूर्ण प्रदत्त समता अंशों पर ₹.8/- प्रति समता अंश की दर से, कुल ₹.94,25,896 वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिये अनुमोदित किया जाता है। इसका भुगतान उन समता अंश धारकों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2025 को सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है।"

3. "श्रेणी A" में आने वाले निदेशक श्री कपिल भारद्वाज (DIN:09377124) के स्थान पर निदेशक नियुक्ति पर विचार करना, जो रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं, और इस संबंध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित करना:

" प्रस्ताव पारित किया जाता है कि अनुच्छेद 9.6 एवं कंपनी के अन्य अनुच्छेदों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA और अन्य लागू प्रावधानों (समय-समय पर होने वाले संशोधनों/अधिनियमों सहित) के अंतर्गत, श्रेणी A का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री प्रवीण कुमार (फोलियो न.0003370) को, रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे एवं पुनर्नियुक्ति के पात्र न होने वाले श्री कपिल भारद्वाज के स्थान पर, कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाता है।"

4. "श्रेणी A" में आने वाले निदेशक श्री शैलेन्द्र सिंह (DIN: 09377123) के स्थान पर निदेशक नियुक्ति पर विचार करना, जो रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं, और इस संबंध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित करना:

"प्रस्ताव पारित किया जाता है कि अनुच्छेद 9.6 एवं कंपनी के अन्य अनुच्छेदों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA और अन्य लागू प्रावधानों (समय-समय पर होने वाले संशोधनों/अधिनियमों सहित) के अंतर्गत, श्रेणी A का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री मोहित कुमार (फोलियो न.0003957) को, रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे एवं पुनर्नियुक्ति के पात्र न होने वाले श्री शैलेन्द्र सिंह के स्थान पर, कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाता है।"

5. “श्रेणी A” में आने वाले सदस्य श्री प्रदीप कुमार (फोलियो न.0000005) को निदेशक नियुक्त करने पर विचार करना और निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित करना:

" प्रस्ताव पारित किया जाता है कि अनुच्छेद 9.6 एवं कंपनी के अन्य अनुच्छेदों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA और अन्य लागू प्रावधानों (समय-समय पर होने वाले संशोधनों/अधिनियमों सहित) के अंतर्गत, श्रेणी A के सदस्य श्री प्रदीप कुमार को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाता है, जिनका कार्यकाल रोटेशन के अनुसार सेवानिवृत्त होने के अधीन होगा।"

6. “श्रेणी A” में आने वाले सदस्य श्री विश्वजीत पंवार (फोलियो न.0003401) को निदेशक नियुक्त करने पर विचार करना और निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित करना:

" प्रस्ताव पारित किया जाता है कि अनुच्छेद 9.6 एवं कंपनी के अन्य अनुच्छेदों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA और अन्य लागू प्रावधानों (समय-समय पर होने वाले संशोधनों/अधिनियमों सहित) के अंतर्गत, श्रेणी A के सदस्य श्री विश्वजीत को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाता है, जिनका कार्यकाल रोटेशन के अनुसार सेवानिवृत्त होने के अधीन होगा।"

7. “श्रेणी A” में आने वाले सदस्य श्री दिगंबर सिंह (फोलियो न.0008415) को निदेशक नियुक्त करने पर विचार करना और निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित करना:

" प्रस्ताव पारित किया जाता है कि अनुच्छेद 9.6 एवं कंपनी के अन्य अनुच्छेदों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA और अन्य लागू प्रावधानों (समय-समय पर होने वाले संशोधनों/अधिनियमों सहित) के अंतर्गत, श्रेणी A के सदस्य श्री दिगंबर सिंह को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाता है, जिनका कार्यकाल रोटेशन के अनुसार सेवानिवृत्त होने के अधीन होगा।"

8. 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि के लिए कंपनी का बजट स्वीकृत करने पर विचार करना और निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित करना:

" प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 की अवधि के लिए कंपनी का प्रस्तुत बजट अनुमानों को, जैसा कि वार्षिक साधारण सभा में प्रस्तुत किया गया है, स्वीकृत किया जाता है।"

9. "सदस्यों को सदस्यता के आधार (patronage) पर विभिन्न वर्गों में विभाजित करने के लिए संशोधित मानदंड पर विचार करने और स्वीकृति देने हेतु, निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव (Ordinary Resolution) के रूप में पारित करना।"

"प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी की अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.4 के अनुसार, 29 नवंबर 2021 को आयोजित प्रथम वार्षिक साधारण सभा में पारित प्रस्ताव की अपेक्षा, यहाँ नीचे सदस्यता में सदस्यों की व्यावसायिक भागीदारी (patronage) के आधार पर उन्हें विभिन्न वर्गों में विभाजित करने हेतु संशोधित मानदंड अनुमोदित किए जाएँ":

क्र.	मानदंड	श्रेणी 'ए'	श्रेणी 'बी'	श्रेणी 'सी'
1.	एक वर्ष में कंपनी को आपूर्ति किये गए दूध के दिनों की संख्या	>=300	>=270	>=200
2.	वर्ष में कंपनी को आपूर्ति की गई कुल दूध की मात्रा (लीटर में)	>=6000	>=3000	>=500
3.	फ्लश अवधि (अर्थात् नवंबर से फरवरी) और लीन अवधि (अर्थात् अप्रैल से जुलाई) में दूध आपूर्ति का अनुपात 3:1 से अधिक नहीं होना चाहिए	फ्लश अवधि और लीन अवधि का अनुपात 3.0 से अधिक नहीं	फ्लश अवधि और लीन अवधि का अनुपात 3.0 से अधिक नहीं होना चाहिए।	फ्लश अवधि और लीन अवधि का अनुपात 3.0 से अधिक नहीं होना चाहिए।

		होना चाहिए		
4.	सदस्य द्वारा ली गई कंपनी के शेयरों की न्यूनतम संख्या (योगदान की गई अंश पूँजी की राशि)	60 अंश	30 अंश	5 अंश

#### टिप्पणी –

- a) वास्तविक अंश पूँजी योगदान या वास्तविक दूध आपूर्ति मात्रा, जो भी कम होगी, उसे वर्गीकरण निर्धारित करने के उद्देश्य से माना जाएगा।
- b) पेट्रनेज (सहभागिता) की गणना के उद्देश्य से निम्नलिखित बातों पर विचार किया जाएगा:
- वे सदस्य जिन्हें पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान नामांकित किया गया है और जिनकी सदस्यता के 365 दिन अभी पूर्ण नहीं हुए हैं, लेकिन जिन्होंने न्यूनतम आवश्यक अंश पूँजी सदस्यता ली है, उन्हें उस वर्ग में माना जाएगा।
  - कोई भी सदस्य जो “क्लास A” या “क्लास B” के मानदंड पूरे नहीं करता है, उसे उपयुक्त निम्नतर वर्ग में रखा जा सकता है, जिसके मानदंड वह पूरा करता हो। हालांकि, ऐसे सदस्य उस वर्ष निदेशक मंडल के पद के लिए चुनाव लड़ने के पात्र नहीं होंगे।
  - वे सदस्य जो कम से कम “क्लास C” में बने रहने के लिए आवश्यक मानदंड पूरे नहीं करते हैं, उन्हें कंपनी के उपविधियों के अनुच्छेद 4.3 और अनुच्छेद 8 के प्रावधानों के अनुसार सदस्यता समाप्ति का नोटिस जारी किया जाएगा।

उपरोक्त को स्वीकृत एवं अंगीकृत किया जाता है तथा यह वित्तीय वर्ष 2025-26 से प्रभावी होगा।

#### 10. निदेशक मंडल में रिक्त पद के लिए पात्र सदस्यों से प्राप्त आवेदनों की जांच करने हेतु परिभाषित मानदंडों के आधार पर ‘नामांकन समिति के गठन हेतु दिशा-निर्देश’ में संशोधन पर विचार एवं स्वीकृति प्रदान करना।

इस पर विचार करने और उपयुक्त समझे जाने पर, संशोधन सहित या बिना संशोधन, निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित करना:

"यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग XXI-A की प्रासंगिक धाराओं, विशेष रूप से धारा 378-I, धारा 14, एवं अन्य संबंधित प्रावधानों एवं नियमों के अंतर्गत, तथा इस संबंध में पूर्व में पारित किसी भी प्रस्ताव को प्रतिस्थापित करते हुए, कंपनी के शेयरधारकों की सहमति 'नामांकन समिति के गठन हेतु दिशा-निर्देश' को निम्नानुसार संशोधित करने के लिए दी जाती है:

- हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (“कंपनी”) का निदेशक मंडल, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन माह के भीतर, कंपनी के निदेशक मंडल में ‘उत्पादक-सदस्य निदेशक के रिक्त पद’ हेतु संभावित उम्मीदवार का सुझाव देने के लिए एक “नामांकन समिति” (NC) का गठन करेगा।
- निदेशक मंडल (क्लास A, क्लास B या क्लास C श्रेणी के अंतर्गत) में उत्पादक निदेशक के रिक्त पद की घोषणा कंपनी का निदेशक मंडल करेगा। पात्र सदस्यों से नामांकन हेतु आमंत्रण की सूचना (रिक्त पदों की संख्या के अनुसार) कंपनी के नोटिस बोर्ड पर और/या कंपनी की वेबसाइट (यदि हो) पर, और/या सामान्य डाक द्वारा परिपत्र भेजकर, और/या कंपनी में पंजीकृत ईमेल पते पर भेजकर, और/या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संबंधित वर्ग के सभी पात्र सदस्यों को भेजी जाएगी, जिसके लिए रिक्ति उत्पन्न हुई है।
- निदेशक मंडल एक प्रक्रिया तैयार करेगा, जिसका पालन ‘नामांकन समिति’ द्वारा ऐसे संभावित सदस्यों की पहचान करने हेतु किया जाएगा, जैसा कि अनुच्छेद में उल्लिखित है।

(iv) “नामांकन समिति” नीचे दी गई तालिका में दर्शाए गए प्रत्येक मानदंड के अनुसार पात्र आवेदक के लिए ‘आवेदक की पात्रता अंक’ निर्धारित करेगी:

प्रार्थी की योग्यता हेतु अंक मानदंड	अधिकतम अंक
पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी को दुग्ध आपूर्ति के दिनों की संख्या, अंक निम्न प्रकार से होंगे (95% या अधिक दिन - 30, 85% से < 95% दिन-20, 75% से < 85%-15 65% से < 75%-10, 55% से 65%-5, <55%-0)	30
इस अवधि के दौरान कम्पनी को स्व-घोषणा एवं कम्पनी के द्वारा अनुवर्ती सत्यापन के आधार पर संपूर्ण अधिशेष (सरप्लस) की आपूर्ति करना (यानि अन्य किसी प्रतियोगी / संचालक को दुग्ध आपूर्ति नहीं की है)	5
पिछले 5 वर्षों से सदस्य वर्ग (अ, ब, स) में से किसी एक की निरंतर सदस्यता बनाकर रखने पर - प्रत्येक वर्ष के लिए 6 अंक दिये जायेंगे।	30
आवेदक की शैक्षणिक योग्यता: पुरुषों के लिए 12वीं पास होने पर 5 अंक, स्नातक होने पर -10 अंक परास्नातक होने पर - 15 अंक, महिलाओं के लिए 10 वीं पास होने पर 5 अंक, 12 वीं पास होने पर -10 - अंक, स्नातक पास होने पर - 15 अंक	15
अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम जिनमें भाग लिया - सदस्य प्रशिक्षण (5 अंक); वीसीजी / एमआरजी: (5 अंक); एलडीपी (लीडरशिप डवलपमेंट प्रोग्राम) / बोर्ड निदेशकों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने पर (10 अंक)	20
कुल	100

(v) निदेशक मंडल द्वारा गठित ‘नामांकन समिति’ में निम्न सदस्य शामिल होंगे:

(i) उस सदस्यता वर्ग से एक **उत्पादक-सदस्य निदेशक**, जिसके लिए रिक्ति उत्पन्न हुई है, बशर्ते कि वह उत्पादक-सदस्य निदेशक आगामी वार्षिक साधारण सभा में सेवानिवृत्त होने वाला न हो। यदि एक से अधिक उत्पादक-सदस्य पात्र हों, तो एक **नामांकन समिति सदस्य** का चयन, आपसी सहमति के अभाव में, **लॉटरी (चिट्ठी निकालकर)** किया जाएगा। यदि उस वर्ग से कोई उत्पादक-सदस्य निदेशक उपलब्ध न हो, तो अन्य किसी उत्पादक-सदस्य निदेशक को सभी उपस्थित निदेशकों की आपसी सहमति या लॉटरी द्वारा चयनित किया जाएगा।

(ii) कंपनी के निदेशक मंडल में से एक **विशेषज्ञ निदेशक**।

(iii) किसी **प्रसिद्ध प्रबंधन संस्थान** अथवा ऐसे संस्थान से एक विशेषज्ञ, जिसने उत्पादक-स्वामित्व वाले उद्यमों के विकास हेतु उल्लेखनीय कार्य किया हो।

कंपनी का **कंपनी सचिव** ‘नामांकन समिति’ की सहायता करेगा और उससे संबंधित सभी दस्तावेजों, जिसमें नामांकन समिति की बैठक के कार्यवृत्त (Minutes) शामिल हैं, के रख-रखाव का उत्तरदायी होगा।

(vi) ‘नामांकन समिति’ का कार्यकाल, समिति की प्रथम बैठक की तिथि से लेकर कंपनी के निदेशक मंडल को अपनी सिफारिश भेजने की तिथि तक रहेगा।

(vii) निदेशक मंडल, ऐसे संभावित सदस्यों की पहचान करने हेतु ‘नामांकन समिति’ द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित

करेगा।

“पुनः यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि, इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से, कंपनी के निदेशक मंडल को पूर्णतया विवेक के आधार पर आवश्यक और उचित समझे जाने वाले सभी उपाय, कार्य, कृत्य, मामले एवं अन्य क्रियाएं करने तथा इस संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या संदेह का समाधान करने के लिए यहाँ अधिकृत किया जाता है।” इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, कंपनी का निदेशक मंडल ऐसे सभी आवश्यक कदम उठाने, सभी कार्य, कृत्य, विषय एवं व्यवस्थाएँ करने, तथा इस संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या संदेह का समाधान करने के लिए, अपनी पूर्ण विवेकाधिकार से अधिकृत होगा।

**11. एनडीडीबी द्वारा प्रोत्साहित की जाने वाली सहकारी समिति की अंश पूंजी को सब्सक्राइब करने पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना, तथा इस संबंध में निम्नलिखित विशेष प्रस्ताव पारित करना:**

"प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के अन्तनियम एवं बर्हिनियम तथा कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के अध्याय XXIA और अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों, तथा अन्य सभी लागू प्रावधानों / कानूनों (जिसमें समय-समय पर किये गये वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियम को भी शामिल किया जाये) के अन्तर्गत कंपनी के सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त की जाती है कि कंपनी एनडीडीबी द्वारा प्रवर्तित बहु-राज्य सहकारी समिति के सदस्य बने और कंपनी के सामान्य भण्डार (General Reserves) की अधिकतम 30% सीमा तक उस बहु राज्य सहकारी समिति के शेयरों की सदस्यता ग्रहण की जा सकती है।

पुनः प्रस्ताव पारित किया जाता है, कि कंपनी के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी को, इस प्रस्ताव को लागू करने हेतु आवश्यक सभी कार्यवाही करने और दस्तावेज निष्पादित करने के लिए पृथक रूप से अधिकृत किया जाता है।"

निदेशक मंडल के आदेश से  
हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड  
ह.  
श्रीमन नारायण पांडेय  
कंपनी सचिव  
सदस्यता संख्या: F7763

स्थान: मेरठ

दिनांक: 13/08/2025

## नोट्स

1. **कोई भी सदस्य**, जो वार्षिक साधारण सभा (AGM) में भाग लेने और मतदान करने का हकदार है, वह अपने स्थान पर **एक प्रॉक्सी नियुक्त** कर सकता है, जो हाथ उठाकर या मतदान (पोल) में भाग लेकर उसके स्थान पर मतदान कर सके। प्रॉक्सी **कंपनी का सदस्य होना चाहिए**। गैर-सदस्य को प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जा सकता। प्रॉक्सी नियुक्त करने का प्रपत्र, पूर्ण रूप से भरा हुआ, स्टाम्प और हस्ताक्षरित, बैठक के निर्धारित समय से कम से कम 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए। **प्रॉक्सी फॉर्म** इस सूचना के साथ संलग्न है।
2. सदस्यों/प्रॉक्सी से अनुरोध है कि बैठक में उपस्थित होने के लिए **उपस्थितिपत्र (Attendance Slip)**, जो इस सूचना के साथ भेजा गया है, भरा हुआ साथ लाएँ।
3. प्रत्येक सदस्य को अपने **शेयर पूंजी** और **पैट्रनेज** के अनुपात में एक वोट देने का अधिकार होगा (हाथ उठाकर या मतदान में), बशर्ते उसने अपनी सदस्यता की बुनियादी शर्तें पूरी की हों अर्थात् उसने वित्त वर्ष 2024-25 में कम से कम 200 दिनों में कंपनी को **500 लीटर दूध** की आपूर्ति की हो।
4. कोई सदस्य अधिकतम **300 सदस्यों** का प्रॉक्सी बन सकता है, बशर्ते कि इन सभी का शेयर पूंजी का कुल योग कंपनी की कुल शेयर पूंजी का **10% से अधिक** न हो।
5. इस सूचना में उल्लिखित सभी प्रासंगिक दस्तावेज, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में, सभी कार्य दिवसों (शनिवार को छोड़कर) सुबह 11:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे।
6. इस सूचना के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं:
  - a. निदेशक के रूप में निर्वाचित होने वाले उम्मीदवारों की योग्यता का विवरण (आइटम संख्या 3, 4, 5, 6 और 7 के अनुसार नाम सहित)।
  - b. पिछली वार्षिक साधारण सभा की कार्यवाही (मिनट्स) दिनांक 28.09.2024।
  - c. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष का **बैलेंस शीट** और **लाभ-हानि खाता (Profit & Loss Account)** सह अनुसूचियाँ, टिप्पणियाँ, निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट।
  - d. वित्त वर्ष 2025-26 का **बजट**।
7. सदस्यों से अनुरोध है कि AGM में अपने साथ पाँचवीं वार्षिक रिपोर्ट की प्रति लेकर आएँ, क्योंकि सभा स्थल पर कंपनी की ओर से कोई प्रति उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।
8. जो सदस्य कंपनी के लेखों या कार्यप्रणाली के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वे बैठक की तिथि से कम से कम 7 दिन पहले अपनी लिखित प्रश्नावली कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करें।
9. सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी सभी पत्राचार में अपना **फोलियो नंबर** और **सदस्य कोड** अवश्य अंकित करें।

10. सदस्यों को सूचित किया जाता है कि **कंपनी अधिनियम, 2013** की धारा 124 के अनुसार, यदि घोषित लिमिटेड रिटर्न (लाभांश) 7 वर्षों के भीतर दावा नहीं किया जाता, तो अविदित राशि को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (IEPF) में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। स्थानांतरण की तिथि इस प्रकार है:

वित्त वर्ष	घोषणा की तिथि	IEPF में स्थानांतरण की अपेक्षित तिथि
2023-24	28/09/2024	01/11/2031

जिन सदस्यों ने उपरोक्त वर्ष का लाभांश प्राप्त नहीं किया है, वे इसे समय रहते प्राप्त करने हेतु कंपनी से संपर्क करें।

11. सदस्यों से अनुरोध है कि अपने पते और बैंक खाते में किसी भी परिवर्तन की सूचना तुरंत कंपनी को दें।
12. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत करें, ताकि कंपनी की सभी सूचनाएँ (वार्षिक रिपोर्ट, नोटिस, परिपत्र आदि) उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त हो सकें।
13. **नामांकन:** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 के अनुसार, जो सदस्य अपना नामांकन दर्ज/अद्यतन करना चाहते हैं, वे **फॉर्म SH-13** भरकर कंपनी को जमा करें (फॉर्म की प्रति संलग्न है)।
14. **हथियार, बंदूकें, गोला-बारूद, चाकू, ब्लेड, नुकीले औजार आदि** AGM स्थल पर लाना प्रतिबंधित है।
15. **5वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना** कंपनी की वेबसाइट [www.haritpmilk.com](http://www.haritpmilk.com) पर उपलब्ध है।
16. AGM स्थल तक पहुँचने के लिए **मार्ग मानचित्र और प्रमुख स्थलों का विवरण** इस सूचना के साथ संलग्न है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA(4)(c) के अंतर्गत निदेशक के रूप में चुने जाने वाले उम्मीदवारों के संबंध में योग्यता का विवरण

**मद सं. 3, 4, 5, 6 और 7**

बोर्ड नामांकन समिति के सिफारिश पर श्री प्रवीण कुमार (फोलियो न.0003370), श्री मोहित कुमार, (फोलियो न.0003957) श्री प्रदीप कुमार (फोलियो न.0000005), श्री विश्वजीत पंवार (फोलियो न. 0003401) एवं श्री दिगम्बर सिंह (फोलियो न.0008415) जो 'श्रेणी ए' का प्रतिनिधित्व करते हैं की नियुक्ति करने का प्रस्ताव करता है, जिसका विवरण निचे दिया गया है:

	श्री प्रवीण कुमार	श्री मोहित कुमार	श्री प्रदीप कुमार	श्री विश्वजीत पंवार	श्री दिगम्बर सिंह
आयु:	44	30	38	27	31
शैक्षणिक योग्यता:	स्नातक	इंटरमीडिएट	इंटरमीडिएट	स्नातकोत्तर	इंटरमीडिएट
व्यवसाय:	कृषि एवं पशुपालन				
अनुभव:	5	20	13	8	12
नियुक्ति की शर्तें एवं नियम:	गैर-कार्यकारी निदेशक, रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी	गैर-कार्यकारी निदेशक, रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी	गैर-कार्यकारी निदेशक, रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी	गैर-कार्यकारी निदेशक, रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी	गैर-कार्यकारी निदेशक, रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी
माँगा गया एवं अंतिम प्राप्त पारिश्रमिक:	0	0	0	0	0
बोर्ड में प्रथम नियुक्ति की तिथि:	5वीं वार्षिक साधारण सभा में नियुक्ति का प्रस्ताव है	5वीं वार्षिक साधारण सभा में नियुक्ति का प्रस्ताव है	5वीं वार्षिक साधारण सभा में नियुक्ति का प्रस्ताव है	5वीं वार्षिक साधारण सभा में नियुक्ति का प्रस्ताव है	5वीं वार्षिक साधारण सभा में नियुक्ति का प्रस्ताव है
उपस्थित बोर्ड बैठकों की संख्या:	-	-	-	-	-
शेयरधारिता: (शेयर)	117	52	45	38	63
अन्य निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों (KMP) से संबंध:	कोई संबंध नहीं				
बोर्ड की समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता:	0	0	0	0	0

निदेशक मंडल के आदेश से  
हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड  
ह.  
श्रीमन नारायण पांडेय  
कंपनी सचिव  
सदस्यता संख्या: F7763

स्थान: मेरठ

दिनांक: 13/08/2025

## व्याख्यात्मक विवरण

### मद संख्या 11

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज़ (NDS) के माध्यम से वर्तमान में या भविष्य में एनडीडीबी द्वारा प्रोत्साहित दूध उत्पादक संगठनों की एक शीर्ष बहु-राज्य सहकारी समिति के गठन की सुविधा प्रदान कर रहा है। उक्त शीर्ष सहकारी समिति का पंजीकरण बहु-राज्य सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 के अंतर्गत किया जाएगा।

इस समिति का उद्देश्य अपने सदस्यों के आर्थिक हितों को प्रोत्साहित करना है, जिसके अंतर्गत:

- दूध के उत्पादन, खरीद, प्रसंस्करण और विपणन में सहयोग देना
- डेयरी क्षेत्र में संबंधित गतिविधियों का विस्तार करना
- दूध उत्पादकों को वित्तीय, तकनीकी एवं प्रशिक्षण सहायता प्रदान करना
- सरकारी संस्थाओं के साथ सहयोग करना
- सहकारिता सिद्धांतों का पालन करना

चूँकि हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के उद्देश्य एवं गतिविधियाँ इस शीर्ष सहकारी समिति के उद्देश्यों के अनुरूप हैं — विशेष रूप से सहकारिता एवं पारस्परिक सहायता सिद्धांतों को बढ़ावा देने, दूध उत्पादन में वृद्धि करने तथा भारत में डेयरी मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करने के संदर्भ में अतः यह प्रस्ताव है कि हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड उक्त शीर्ष सहकारी समिति का सदस्य बने।

इसके लिए प्रस्ताव है कि सामान्य भंडार (General Reserves) की अधिकतम 30% सीमा तक बहु-राज्य सहकारी समिति के अंश (शेयर) लिए जाएँ और इस प्रकार एनडीडीबी द्वारा प्रोत्साहित बहु-राज्य सहकारी समिति की सदस्यता ग्रहण की जाए।

### निर्देशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की रुचि

कंपनी के किसी भी निदेशक/अधिकारी या उनके संबंधियों की इस प्रस्ताव में किसी भी प्रकार की रुचि या संलिप्तता नहीं है।

### सिफारिश

निदेशक मंडल, संलग्न सूचना में दिए गए मद संख्या 11 के विशेष प्रस्ताव को सदस्यों की स्वीकृति हेतु अनुशंसा करता है।

हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड			
राजस्व बजट			
क्र.सं.	विवरण	इकाई	बजट वित्त वर्ष 25-26
I	दूध प्राप्ति मात्रा	(केजीपीडी)	289,589
II	दुग्ध परिचालन से राजस्व	(लाखों रुपये में)	56,616.77
III	उत्पादक मूल्य	(लाखों रुपये में)	50,514.45
IV	सहायक मार्जिन	(लाखों रुपये में)	1,450.13
V	लॉजिस्टिक्स लागत	(लाखों रुपये में)	1,571.97
VI	अन्य दूध खरीद लागत	(लाखों रुपये में)	1,145.27
VII	निश्चित लागत	(लाखों रुपये में)	1,763.51
<b>VIII</b>	<b>अनुदान सहायता से पहले दूध संचालन से लाभ/(हानि)</b>	<b>(लाखों रुपये में)</b>	<b>171.44</b>
IX	मवेशी चारा और अन्य से आय	(लाखों रुपये में)	102.01
X	अन्य कमाई	(लाखों रुपये में)	183.87
<b>XI</b>	<b>अनुदान सहायता से पहले दूध संचालन से लाभ/(हानि)</b>	<b>(लाखों रुपये में)</b>	<b>457.32</b>
XII	पीईएस व्यय JICA'	(लाखों रुपये में)	818.15
XIII	पीईएस-JICA फंडिंग एजेंसी से समर्थन	(लाखों रुपये में)	745.24
IXV	दिशा परियोजना के अंतर्गत व्यय	(लाखों रुपये में)	18.10
XV	दिशा के लिए समर्थन - एनडीडीबी	(लाखों रुपये में)	4.48
XVI	एचआरसी परियोजना के तहत व्यय	(लाखों रुपये में)	28.13
<b>XVII</b>	<b>अनुदान सहायता के बाद कर से पहले लाभ/(हानि)</b>	<b>(लाखों रुपये में)</b>	<b>342.66</b>
पूंजीगत व्यय बजट			
क्र.सं.	विवरण	यूओएम	बजट वित्त वर्ष 25-26
ए	दूध संचालन		
I	एमपीपी स्थापना लागत	(लाखों रुपये में)	316.00
II	कैन	(लाखों रुपये में)	205.09
III	बीएमसी	(लाखों रुपये में)	81.20
IV	एच ओ सेट अप	(लाखों रुपये में)	5.00
V	क्लस्टर सेट अप	(लाखों रुपये में)	4.00
VI	डीपीएमसीयू	(लाखों रुपये में)	245.00
VII	बीएमसी सहायक उपकरण	(लाखों रुपये में)	10.00
VIII	एएमसीयू	(लाखों रुपये में)	11.57
IX	एमसीसी की स्थापना लागत	(लाखों रुपये में)	177.60

X	आईसीटी	(लाखों रुपये में)	207.00
XI	अन्य	(लाखों रुपये में)	0.33
XII	कैपेक्स - दूध संचालन	(लाखों रुपये में)	<b>1,262.79</b>
XIII	पूंजीगत व्यय अनुदान सहायता - दुग्ध संचालन	(लाखों रुपये में)	565.06
बी	पीईएस संचालन		
I	कैपेक्स -पीईएस संचालन	(लाखों रुपये में)	122.22
II	अनुदान सहायता -पीईएस संचालन	(लाखों रुपये में)	109.99
ई	कुल पूंजीगत व्यय	(लाखों रुपये में)	<b>1,385.01</b>
सी	पूंजीगत व्यय-वित्त पोषण एजेंसी से सहायता	(लाखों रुपये में)	<b>675.06</b>

हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की चौथी वार्षिक साधारण सभा का कार्यवृत्त शनिवार 28 सितंबर , 2024 को संस्कृति रिसॉर्ट्स, रोहता रोड फ्लाईओवर के पास, एनएच-58, मेरठ, उत्तर प्रदेश 250 110 में 12:00:07 बजे शुरू हुआ और 12:28:36 बजे समाप्त हुआ।

**उपस्थित:**

1.	श्री कपिल भारद्वाज	:	अध्यक्ष एवं शेयरधारक
2.	श्रीमती अंजू देवी	:	निदेशक एवं शेयरधारक
3.	श्री रविंदर कुमार	:	निदेशक एवं शेयरधारक
4.	श्रीमती संगीता	:	निदेशक एवं शेयरधारक
5.	श्री संजय कुमार	:	निदेशक एवं शेयरधारक
6.	श्री शैलेन्द्र सिंह	:	निदेशक एवं शेयरधारक
7.	श्री वीरेंद्र	:	निदेशक एवं शेयरधारक
8.	श्री विवेक कुमार	:	निदेशक एवं शेयरधारक
9.	श्री नरिंदर सिंह बहगा	:	विशेषज्ञ निदेशक
10.	डॉ. हितेश पूनिया	:	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
उपस्थिति में:			
1.	श्री श्रीमन नारायण पांडे	:	कंपनी सचिव

- A. श्री कपिल भारद्वाज ने 12.00 बजे अध्यक्षता संभाली और कंपनी सचिव से बैठक शुरू करने के लिए अपेक्षित उपस्थिति और कोरम की पुष्टि करने को कहा।
- B. इसके बाद, कंपनी सचिव श्री श्रीमन नारायण पांडे ने बताया कि उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार, 4,598 अंश रखने वाले 120 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं और 5,89,856 अंश धारक 19,919 सदस्य प्रॉक्सी के माध्यम से उपस्थित हैं। उन्होंने आगे बताया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378Y के साथ कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 11.6 के अनुसार, अपेक्षित कोरम 12,351 सदस्यों का है।
- C. अध्यक्ष ने कंपनी सचिव से जानकारी प्राप्त करने के बाद घोषणा की कि कोरम पूरा हो गया है।
- D. कंपनी सचिव ने बताया कि प्रॉक्सी रजिस्टर, सदस्यों का रजिस्टर, निदेशकों की शेयरधारिता का रजिस्टर, सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और अन्य सांविधिक रजिस्टर उपलब्ध हैं और निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कंपनी की लेखा परीक्षक रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी योग्य नहीं है, इसलिए लेखा परीक्षक रिपोर्ट को पढ़ा हुआ मान लिया गया है।
- E. अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सदस्यों को सूचित किया कि कंपनी के विशेषज्ञ निदेशक श्री आलोक कुमार गुप्ता बैठक में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने सदस्यों को यह भी बताया कि लेखा परीक्षकों ने बैठक में उपस्थित होने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है और कंपनी से अवकाश मांगा है। इसके बाद बैठक की कार्यवाही शुरू की गई।
- F. कंपनी की चतुर्थ वार्षिक साधारण सभा में सदस्यों और निदेशकों का स्वागत किया। तत्पश्चात , अध्यक्ष महोदय ने कंपनी के मूल्य, मिशन और विजन को पढ़कर बैठक की कार्यवाही आरंभ की।

- G. उपस्थित सदस्यों की सर्वसम्मति सहमति से, चतुर्थ वार्षिक साधारण सभा बुलाने की सूचना, जो पहले ही सदस्यों को परिचालित की जा चुकी थी, पढ़ी हुई मान ली गई। साथ ही, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी/योग्यता नहीं होने के कारण, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पढ़ी हुई मान ली गई।
- H. इसके बाद, अध्यक्ष ने अपने भाषण में कंपनी के संचालन और कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के बारे में बैठक को जानकारी दी।
- I. इसके बाद, अध्यक्ष की सलाह पर, कंपनी सचिव श्री श्रीमन नारायण पांडे ने बैठक के एजेंडे के विषय उठाए:
1. 31 मार्च, 2024 तक की बैलेंस शीट तथा उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के लाभ और हानि खाते को, उसके भाग के रूप में अनुसूचियों और नोट्स तथा निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों सहित प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें अपनाना तथा इस संबंध में निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करना।
- 1.1 सदस्यों ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के खातों पर विचार-विमर्श किया।
- 1.2 श्री अंकुर कुमार (फोलियो संख्या 0000210) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:

**प्रस्ताव संख्या 4<sup>वाँ</sup> एजीएम:28.09.2024:1/2024**

“यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 31 मार्च 2024 तक की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट, उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण, साथ ही अनुसूचियां और नोट्स जो इसका एक हिस्सा हैं और निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट कंपनी के, इसके द्वारा अनुमोदित और अपनाए जाते हैं।”

श्री राहुल (फोलियो संख्या 0018754) ने उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा और हाथ उठाकर घोषणा की कि यह सर्वसम्मति से पारित हो गया।

2. कंपनी की शेयर पूंजी पर सीमित रिटर्न (लाभांश) पर विचार करना और घोषित करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करना।
- 2.1 श्रीमती उमा (फोलियो संख्या 0001226) ने एक साधारण प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:

**प्रस्ताव संख्या 4<sup>वाँ</sup> एजीएम:28.09.2024:2/2024**

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के मुनाफे में से ₹ 8 प्रति इक्विटी शेयर की दर से शेयर पूंजी पर सीमित रिटर्न (लाभांश), ₹ 100 प्रत्येक के 9,35,944 पूर्णतः चुकता इक्विटी शेयरों पर अर्थात ₹ 74,87,952 वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ऋण का भुगतान एतद्द्वारा अनुमोदित और पुष्टि की जाती है, और इसका भुगतान उन इक्विटी शेयरधारकों को किया जाएगा, जिनके नाम 31 मार्च, 2024 तक सदस्यों के रजिस्टर में दिखाई देते हैं।”

श्री किरण सिंह (फोलियो संख्या 0000730) ने उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा और हाथ उठाकर घोषणा की कि यह सर्वसम्मति से पारित हो गया।

3. 09377062) के स्थान पर एक निदेशक पर विचार करना और उनकी नियुक्ति करना , जो रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं।

3.1 श्री राजकुमार (फोलियो संख्या 0017393) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:

**प्रस्ताव संख्या 4<sup>वीं</sup> एजीएम:28.09.2024:3/2024**

" यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक श्री वीरेंद्र (डीआईएन 09377062), जो चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं, को एतद्द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया जाता है, तथा वे चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होंगे।"

श्री हरेन्द्र सिंह (फोलियो संख्या 0024923) ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा और हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित घोषित किया।

4. श्री विवेक कुमार (डीआईएन: 09733815) के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति पर विचार करना तथा उन्हें नियुक्त करना, जो चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पात्र होने के कारण पुनः नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं।

4.1 श्री राजेंद्र (फोलियो संख्या 0001907) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:

**प्रस्ताव संख्या 4<sup>वीं</sup> एजीएम:28.09.2024:4/2024**

" यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक श्री विवेक कुमार (डीआईएन 09733815), जो चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं, को एतद्द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया जाता है, तथा वे चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होंगे।"

श्री केशराज चौकर (फोलियो संख्या 001808) ने उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा और हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित घोषित किया।

5. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के बजट पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना।

5.1 श्री देवेन्द्र (फोलियो संख्या 0019587) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:

**प्रस्ताव संख्या 4<sup>वीं</sup> एजीएम:28.09.2024:5/2024**

"यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी का बजट, जैसा कि वार्षिक आम सभा के समक्ष रखा गया है, एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है।"

श्रीमती मनीषा (फोलियो संख्या 0025407) ने उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा और हाथ उठाकर घोषणा की कि यह सर्वसम्मति से पारित हो गया।

## 6. कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना

6.1 श्री देवेन्द्र (फोलियो संख्या 0019587) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:

### प्रस्ताव संख्या 4<sup>वीं</sup> एजीएम:28.09.2024:6/2024

“यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि, कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXI-A के प्रासंगिक प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 378H, 378ZQ, 378ZR और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, (साथ में किसी भी वैधानिक संशोधन या वर्तमान में लागू पुनः अधिनियमन के साथ), कंपनी के मेमोरेण्डम और एसोसिएशन के लेखों के लागू प्रावधानों और कंपनी की पहली वार्षिक आम सभामें शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी ₹ 10,00,00,000 (केवल दस करोड़ रुपये) से बढ़ाकर ₹ 100 (एक सौ रुपये) प्रत्येक के 10,00,000 (दस लाख) इक्विटी शेयरों में विभाजित करके 200,000,000 (केवल बीस करोड़ रुपये) की जाए ₹ 100 (एक सौ रुपये) प्रत्येक के 20,00,000 (बीस लाख) इक्विटी शेयरों को ₹ 100 (एक सौ रुपये) प्रत्येक के अतिरिक्त 10,00,000 (केवल दस लाख) इक्विटी शेयरों के सृजन द्वारा।

इसके अतिरिक्त यह भी संकल्प लिया गया कि कंपनी के एसोसिएशन के ज्ञापन में इसके विद्यमान खंड VI के स्थान पर निम्नलिखित नया खंड VI प्रतिस्थापित किया जाएगा।

“VI. कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी ₹ 20,00,00,000 (बीस करोड़ रुपये) है, जो ₹ 100 (केवल एक सौ रुपये) प्रत्येक के 20,00,000 (केवल बीस लाख) इक्विटी शेयरों में विभाजित है।”

यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ऐसे सभी कदम उठाने और ऐसे सभी कार्य, कर्म, मामले और चीजें करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जिन्हें वह अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक और समीचीन समझे और इस संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या संदेह का निपटारा करे।

श्री लक्ष्मण सिंह (फोलियो संख्या 004011) ने उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा और हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित घोषित किया।

## 7. निर्धारित मानदंडों के आधार पर बोर्ड में रिक्त पद के लिए पात्र सदस्यों से प्राप्त आवेदनों की जांच करने के लिए 'नामांकन समिति के गठन के लिए दिशानिर्देशों' पर विचार करना और उन्हें अनुमोदित करना।

7.1 मोहम्मद शाहनवाज खान (फोलियो संख्या 007521) ने एक साधारण प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:

### प्रस्ताव संख्या 4<sup>वीं</sup> एजीएम:28.09.2024:7/2024

“यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि नामांकन समिति के गठन के लिए दिशा-निर्देश कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों (यदि लागू हो तो आवश्यक परिवर्तनों सहित या अन्यथा, इसके साथ ही वर्तमान में लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित) और कंपनी के मेमोरेण्डम और एसोसिएशन के लेखों के लागू प्रावधानों के अनुसार अपनाए और अनुमोदित किए जाएं, जो नीचे दिए गए हैं अर्थात्

- (i) हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") का बोर्ड वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन महीने के भीतर एक "नामांकन समिति" (एनसी) का गठन करेगा, जो कंपनी के बोर्ड में रिक्त उत्पादक सदस्य निदेशक पद के लिए बोर्ड को संभावित उम्मीदवार(ओं) का सुझाव देगा।

- (ii) बोर्ड के उत्पादक निदेशकों (वर्ग ए, वर्ग बी या वर्ग सी श्रेणी के अंतर्गत) की रिक्तियों की घोषणा कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा की जाएगी। नामांकन समिति द्वारा विचारार्थ पात्र सदस्यों से नामांकन आमंत्रित करने की सूचना (बोर्ड में रिक्त पदों की संख्या को भरने के लिए) नोटिस बोर्ड पर और/या कंपनी की वेबसाइट पर, यदि कोई हो, लगाई जाएगी या संबंधित वर्ग (वर्गों) के सदस्यों को साधारण डाक द्वारा परिपत्र भेजकर, जिसके लिए रिक्ति उत्पन्न होती है, सूचना दी जाएगी।
- (iii) बोर्ड एक प्रक्रिया तैयार करेगा जिसका पालन 'नामांकन समिति' द्वारा अनुच्छेद के तहत संदर्भित संभावित सदस्यों की पहचान के लिए किया जाएगा।
- (iv) "नामांकन समिति" पात्र आवेदक के लिए प्रत्येक पैरामीटर के विरुद्ध दिए जाने वाले 'आवेदक की पात्रता स्कोर' को दर्शाने वाली निम्नलिखित तालिका पर विचार करेगी:

आवेदक के पात्रता स्कोर के लिए पैरामीटर	अधिकतम स्कोर
पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी को आपूर्ति किये गये दूध के दिनों की संख्या का अंकन निम्नानुसार होगा: (95% या अधिक दिन -25 अंक; 85% से <95% दिन - 20 अंक; 75% से <85% - 15 अंक; 65% से <75% - 10 अंक; 55% से <65% - 5 अंक; <55% - 0 अंक)।	25
पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक शेयर पूंजी अभिदान वास्तविक आवश्यकता के 10% से अधिक कम नहीं हो रहा है।	10
अवधि के दौरान कंपनी को संपूर्ण अधिशेष की आपूर्ति करना (अर्थात किसी अन्य खिलाड़ी/प्रतिस्पर्धी/ऑपरेटर को दूध की आपूर्ति नहीं करना) - स्व-घोषणा और कंपनी द्वारा बाद में सत्यापन के आधार पर।	10
सदस्य योग्यता को लगातार बनाए रखा (पिछले 5 वर्षों से प्रत्येक वर्ष के लिए @ 3 अंक)	15
आवेदक की शैक्षिक योग्यता (न्यूनतम आवश्यक योग्यता के अतिरिक्त - स्नातको के लिए -10 अंक और स्नातकोत्तरों के लिए -15 अंक) न्यूनतम योग्यता एसोसिएशन के लेखों के अनुसार होगी।	15
अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम - उत्पादक / महिला जागरूकता (5 अंक); वीसीजी (5 अंक) / एमआरजी (5 अंक) / नेतृत्व विकास कार्यक्रम (5 अंक) के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम  हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया (15 अंक)।	15
कंपनी के सदस्य के रूप में कोई पुरस्कार या मान्यता प्राप्त की हो (जैसे सदस्य / वीसीजी / एमआरजी आदि के लिए सर्वश्रेष्ठ आईबी पुरस्कार ) / आवेदक ने हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में कार्य किया हो (5 अंक)।	5
स्वैच्छिक सेवा के लिए मान्यता प्राप्त होना (दस्तावेजी प्रमाण के अधीन)।	5
कुल	100

- (v) बोर्ड द्वारा गठित 'नामांकन समिति' में निम्नलिखित शामिल होंगे-

- i. बोर्ड में उस सदस्यता वर्ग से एक निर्माता-सदस्य निदेशक जिसके लिए रिक्ति उत्पन्न हुई है, बशर्ते कि वह निर्माता-सदस्य निदेशक उस वार्षिक आम सभामें सेवानिवृत्त न हो रहा हो। यदि एक से अधिक निर्माता-सदस्य निदेशक अर्हता प्राप्त करते हैं, तो लॉटरी के माध्यम से एक एनसी सदस्य की पहचान की जाएगी। साथ ही, यदि उस वर्ग से कोई निर्माता-सदस्य निदेशक उपलब्ध नहीं है, तो लॉटरी के माध्यम से किसी अन्य निर्माता-सदस्य निदेशक की पहचान की जाएगी;

ii. किसी प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान या उत्पादक स्वामित्व वाले उद्यमों के विकास के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाले संस्थान से एक विशेषज्ञ; और

iii. एक विशेषज्ञ निदेशक जो कंपनी के बोर्ड में है।

कंपनी का कंपनी सचिव 'नामांकन समिति' की सहायता करेगा तथा नामांकन समिति की बैठक के कार्यवृत्त सहित सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा।

(vi) 'नामांकन समिति' का कार्यकाल समिति की प्रथम बैठक की तिथि से लेकर कंपनी के बोर्ड को अपनी सिफारिश भेजने की तिथि तक होगा।

बोर्ड ऐसे संभावित सदस्यों की पहचान के लिए 'नामांकन समिति' द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करेगा।

इसके अतिरिक्त यह भी संकल्प लिया गया कि, कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ऐसे सभी कार्य, कर्म, मामले

और बातें करने तथा ऐसे सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया जाता है,

जो इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हों।"

श्री अंकुर कुमार (फोलियो संख्या 006673) ने उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा और हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित घोषित किया।

## **8. एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज के साथ सेकंडमेंट व्यवस्था/समझौते पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना।**

श्री प्रदीप कुमार (फोलियो संख्या 0000005) ने एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प प्रस्तावित किया:

### **प्रस्ताव संख्या 4<sup>वाँ</sup> एजीएम:28.09.2024:8/2024**

“यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के मेमोरेण्डम और एसोसिएशन के अनुच्छेद के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के अध्याय XXIA के प्रावधानों, और अधिनियम के किसी भी अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों, अन्य लागू कानूनों / वैधानिक प्रावधानों, यदि कोई हो (किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन सहित, वर्तमान में लागू) के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का अनुमोदन एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज के साथ सेकंडमेंट व्यवस्था / समझौते में प्रवेश करने और सेकंडमेंट व्यवस्था से संबंधित सभी निष्पादित लेनदेन के अनुसमर्थन के लिए कंपनी को दिया जाता है और सेकंडमेंट व्यवस्था के लिए एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज ('एनडीएस') के साथ लेनदेन / अनुबंध / व्यवस्था / समझौते में प्रवेश करने और / या जारी रखने के लिए कंपनी को अनुमोदन दिया जाता है।

यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि कंपनी द्वारा इस व्यवस्था/समझौते को समाप्त करने के लिए आम बैठक में सदस्यों की पूर्व सहमति आवश्यक होगी।

आगे यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि अध्यक्ष को इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिए अपेक्षित सभी कार्य करने के लिए अधिकृत किया जाएगा।

श्री लक्ष्मण सिंह (फोलियो संख्या 004011) ने उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।  
अध्यक्ष ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा और हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित घोषित किया।

**9. एनडीडीबी डेयरी सेवाओं ('एनडीएस') को दूध की आपूर्ति पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना।**

श्री बलराज सिंह (फोलियो संख्या 0040120) ने एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प प्रस्तावित किया:

**प्रस्ताव संख्या 4<sup>वाँ</sup> एजीएम:28.09.2024:9/2024**

“यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के मेमोरेण्डम और एसोसिएशन के अनुच्छेद के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के अध्याय XXI-ए के प्रावधानों, और अधिनियम के किसी भी अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों, अन्य लागू कानूनों / वैधानिक प्रावधानों, यदि कोई हो (किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित, वर्तमान में लागू), कंपनी के सदस्यों का अनुमोदन दूध की आपूर्ति के लिए एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज ('एनडीएस') के साथ लेनदेन/अनुबंध/व्यवस्था/समझौते के लिए एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज के साथ दिनांक 5 अप्रैल, 2024 को किए गए आपूर्ति समझौते (इसके किसी भी संशोधन, परिवर्तन और विस्तार सहित) को प्रदान किया जाता है।

इसके अतिरिक्त यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि कंपनी के अध्यक्ष को इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिए अपेक्षित सभी कार्य करने के लिए अधिकृत किया जाएगा।

श्री रौनू कुमार (फोलियो संख्या 0007877) ने उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष ने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा और हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित घोषित किया।

**10. बैठक में कोई अन्य कार्य न होने के कारण, अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।**

ह.  
अध्यक्ष

**हस्ताक्षर करने की तिथि: 09.10.2024**

**हस्ताक्षर का स्थान: बुलंदशहर**

**प्रवेश की तिथि: 09.10.2024**

हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

सीआईएन संख्या U01110UP2021PTC154607

रजि. कार्यालय: दूसरी मंजिल, वर्धमान पल्ला, प्लॉट नंबर-9, पॉकेट-जे, पल्लवपुरम-1, रूड़की रोड, मेरठ-250 110, उत्तर प्रदेश,  
भारत फ़ोन 0121 2995900, ईमेल: info@haritpmilk.com

फॉर्म संख्या MGT-11

प्रॉक्सी फॉर्म

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसरण में)

सीआईएन: U01110UP2021PTC154607

कंपनी का नाम: हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: दूसरी मंजिल, वर्धमान पल्ला, प्लॉट नंबर-9, पॉकेट-जे, पल्लवपुरम-1, रूड़की रोड, मेरठ-250 110, उत्तर प्रदेश

सदस्य का नाम: .....  
पंजीकृत पता: .....  
ईमेल आईडी:.....  
फोलियो संख्या:.....

मैं/हम ..... उपरोक्त कंपनी के ..... शेयरों के सदस्य होने के नाते, इसके द्वारा नियुक्त करता/करती हूँ

1. नाम: .....  
पता: .....  
फोलियो नं.: .....  
ईमेल आईडी: .....  
हस्ताक्षर ..... या उसके न होने पर

2. नाम: .....  
पता: .....  
फोलियो नं.: .....  
ईमेल आईडी: .....  
हस्ताक्षर .....

मेरे प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित होकर, मेरी ओर से, कंपनी की 5वीं वार्षिक साधारण सभा में मतदान करने के लिए जिसे शनिवार, 20 सितंबर 2025 को सुबह 11:30 बजे होटल गोडविन, NH-58, बागपत बाईपास क्रॉसिंग, मेरठ, उत्तर प्रदेश 250 002, भारत में आयोजित किया जाएगा, एवं इसकी किसी भी समयांतरण (adjournment) में, उन प्रस्तावों के संबंध में जो नीचे संकेतित हैं।

क्रम.	संकल्प	वोट		
		पक्ष में	के खिलाफ	तटस्थ
1	31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी का बैलेंस शीट, लाभ-हानि खाता, नकदी प्रवाह विवरण तथा उनके साथ संलग्न अनुसूचियों और टिप्पणियों एवं निदेशकों तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को प्राप्त करना, विचार करना और उन्हें अपनाना।			
2	कंपनी की शेयर पूंजी पर सीमित रिटर्न (लाभांश) पर विचार करना और उसकी घोषणा करना।			
3	“श्रेणी A” में आने वाले निदेशक श्री कपिल भारद्वाज (DIN:09377124) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार करना, जो रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं			
4	“श्रेणी A” में आने वाले निदेशक श्री शैलेन्द्र सिंह (DIN: 09377123) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार करना, जो रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं			
5	कंपनी के निदेशक के रूप में "श्रेणी ए" के अंतर्गत आने वाले श्री प्रदीप कुमार (फोलियो न.0000005) की नियुक्ति पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना।			
6	कंपनी के निदेशक के रूप में "श्रेणी ए" के अंतर्गत आने वाले श्री विश्वजीत पंवार (फोलियो न.0003401) की नियुक्ति पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना।			
7	कंपनी के निदेशक के रूप में "श्रेणी ए" के अंतर्गत आने वाले श्री दिगंबर सिंह (फोलियो न.0008415) की नियुक्ति पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना।			
8	वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए कंपनी के बजट पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना।			
9	संरक्षण के आधार पर सदस्यों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने के लिए संशोधित मानदंडों पर विचार करना और उन्हें अनुमोदित करना।			
10	निर्धारित मानदंडों के आधार पर बोर्ड में रिक्त पद के लिए पात्र सदस्यों से प्राप्त आवेदनों की जांच करने के लिए 'नामांकन समिति के गठन के लिए दिशानिर्देशों' के संशोधन पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना।			
11	एनडीडीबी द्वारा प्रवर्तित की जाने वाली बहुराज्यीय सहकारी संस्था की शेयर पूंजी पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना।			

इस पर हस्ताक्षर किये .....

शेयरधारक के हस्ताक्षर:

प्रॉक्सी धारक के हस्ताक्षर:

नोट: प्रॉक्सी फॉर्म को उक्त बैठक के समय से कम से कम 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में वापस पहुंचाया जाना चाहिए। प्रॉक्सी का सदस्य होना आवश्यक है।

Affix ₹1  
Revenue  
Stamp

हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

सीआईएन संख्या U01110UP2021PTC154607

रजि. कार्यालय: दूसरी मंजिल , वर्धमान पल्ला, प्लॉट नंबर-9, पॉकेट-जे, पल्लवपुरम-1, रूडकी रोड, मेरठ-250 110, उत्तर प्रदेश,  
भारत फ़ोन 0121 2995900, ईमेल: info@haritpmilk.com

उपस्थिति पर्ची

फोलियो नं.

सदस्य कोड:

दिनांक 20 सितम्बर, 2025 को आयोजित 5 वीं वार्षिक साधारण सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता हूँ

शेयरधारकों का नाम .....

प्रॉक्सी का नाम ..... (मीटिंग में भाग लेने वाले प्रॉक्सी के मामले में)

(A) भाग लेने के लिए: \_\_\_\_\_

(B) उपस्थित होने और मतदान करने के लिए: \_\_\_\_\_

शेयरधारक/प्रॉक्सी के हस्ताक्षर\*

\*जो लागू न हो उसे काट दें

हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड  
सीआईएन संख्या U01110UP2021PTC154607

रजि. कार्यालय: दूसरी मंजिल, वर्धमान पलजा, प्लॉट नंबर-9, पॉकेट-जे, पल्लवपुरम-1, रूडकी रोड, मेरठ-250 110, उत्तर प्रदेश,  
भारत, फ़ोन 0121 2995900, ईमेल: info@haritpmilk.com

पावती

फोलियो संख्या:

एमपीपी कोड:

मैं ..... फोलियो संख्या ..... सदस्य कोड ..... निवासी  
..... हरित प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का सदस्य हूँ और मुझे कंपनी द्वारा दिनांक  
..... को सभी संलग्नकों के साथ भेजी गई 5 वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना प्राप्त हुई है।

सदस्य के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान

तारीख: .....


जगह: .....

हाथ से डिलीवरी

नोटिस और संलग्नक देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर .....

अधिकारी/व्यक्ति का नाम .....

## वार्षिक आम सभा के स्थल का रुट मैप



### आम सभा स्थल:

होटल गोडविन, एनएच-58, दिल्ली - हरिद्वार बाईपास,  
बागपत बाई पास क्रोसिंग, मेरठ, उत्तर प्रदेश 250002

## सदस्यता को जारी रखने और रद्द करने की शर्तें

- १ . सदस्य कोई ऐसा व्यावसायिक हित अर्जित करता है जो कंपनी के व्यवसाय के साथ टकराव में है।
- २ . सदस्य किसी ऐसे कार्य में लिप्त है/लिप्त रहा है जो कंपनी के कामकाज के लिए हानिकारक है या जिसने कंपनी के हित और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है या नुकसान पहुंचाने की संभावना है।
- ३ . सदस्य अपने स्वामित्व वाले दुधारू पशुओं से दूध के उत्पादन में लगा हुआ है और गायों और भैंसों की देखभाल और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।
- ४ . सदस्य ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कम से कम 200 दिनों तक दूध की आपूर्ति की है और सालाना कम से कम 500 लीटर दूध डाला है।
- ५ . सदस्य ने आपूर्ति की गई दूध की वार्षिक मात्रा से मेल खाने वाले शेयरों के लिए सदस्यता ली है।
- ६ . सर्दियों के महीनों यानी नवंबर से फरवरी के दौरान कंपनी को आपूर्ति की गई कुल दूध पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान गर्मियों के महीनों यानी अप्रैल से जुलाई के दौरान आपूर्ति किए गए दूध से 3 गुना से अधिक नहीं होगी।
- ७ . सदस्य द्वारा आपूर्ति किया गया दूध कंपनी द्वारा समय-समय पर निर्धारित सभी गुणवत्ता मानकों को पूरा करता है।
- ८ . सदस्य ने पिछले 6 महीने या उससे अधिक की अवधि के दौरान हरित प्रदेश दुग्ध उत्पादक कंपनी को किए जाने वाले 1000/- रुपये या उससे अधिक के किसी भी भुगतान में चूक नहीं की है।
- ९ . सदस्य ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जो कंपनी के कामकाज के लिए हानिकारक हो।
- १० . सदस्य ने ऐसा कोई व्यवसाय नहीं किया है जो दुग्ध उत्पादक कंपनी के व्यावसायिक हितों के विपरीत हो।
- ११ . सदस्य ने दुग्ध उत्पादक कंपनी को जानबूझकर धोखा नहीं दिया है।
- १२ . सदस्य ने कंपनी को कोई गलत जानकारी नहीं दी है। कंपनी सदस्य द्वारा दी गई जानकारी को स्वप्रेरणा से या किसी वास्तविक सदस्य से शिकायत प्राप्त होने पर सत्यापित कर सकती है।
- १३ . सदस्य को अपने घर का पूरा अधिशेष दूध कंपनी को आपूर्ति करने में चूक करते नहीं पाया गया है।
- १४ . सदस्य कोड में परिवार में वास्तविक दूध उत्पादन/अतिरिक्त दूध की मात्रा की तुलना में अधिक मात्रा में दूध डाला गया है, जैसा कि सदस्यों द्वारा घोषित किया गया है।
- १५ . एक ही परिवार में एक से अधिक सदस्यों (सहायक परिवार सहित) को शामिल करते हुए फर्जी सदस्यता
- १६ . सदस्य कोड का उपयोग किसी और का दूध डालने के लिए किया जाता है
- १७ . यदि सदस्यता सहायक के नाम पर आवंटित की गई है।